Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 3 | SPECIAL ISSUE MARCH-2023

शहीदो की विधवा महिलाओं के धार्मिक स्तर पर बदलते प्रतिमान (राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवा महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

योगिता रानी पंवार समाज शास्त्र, विभागजय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

ABSTRACT:

वर्तमान में इस आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण युग में जहाँ महिलाओं को चाहे वह सधवा महिलाएँ हो या विधवा महिलाएँ को सशक्त करने हेतु महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 मनाया जाता हैं, वहीं समाज के प्रत्येक क्षेत्र, राज्य, वर्ग, धर्म समुदाय में महिलाएँ उत्पीड़ित, शोषित हो रही हैं, यह अत्याचार भारतीय समाज में चरम सीमा में पहुँच जाता है, जब कोई महिला विधवा हो जाती है इन पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के प्रतिबंध लगा दिये जाते है। राजस्थान राज्य में रूढ़ि प्रथा, परम्पराएँ, प्रदा प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह कन्या (भ्रूण) हत्या, दहेज प्रथा इत्यादि कई सामाजिक कुरूतियों, प्रथाओं का प्रचलन आज भी पाया जाता है जिसके कारण राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवा महिलाओं की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। यहाँ आज भी राजपूत जाति की विधवा महिलाएँ पर्दा करती है, धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकाण्डों, रीति–रिवाजों को मानती है। शिक्षा के विकास के कारण कुछ शिक्षित शहीदों की विधवा महिलाएँ धार्मिक कमकाण्डों, अनुष्ठानों को केवल मन की शांति के लिए अपनाती है। अंधविश्वासी नहीं है किंतु जो शहीदों की विधवा महिलाएँ, अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी है, वह धार्मिक अंधविश्वासा को अधिक मानती है और शोषण का शिकार भी अधिक होती है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील की शहीदो की विधवा महिलाओं के धार्मिक स्थितियों में किस प्रकार के परिवर्तन हुये है। विधवा महिलाओं पर धार्मिक प्रतिबंध कौन–कौन से लगाये जाते है? वर्तमान में इन शहीदों की विधवा महिलाओं का धर्म में विश्वास क्यों है? क्या शेरगढ़ तहसील की शहीदो की विधवा महिलाओं को रंगीन वस्त्र पहनने, धार्मिल स्थल, मंदिरों में प्रवेश, पूजा–पाठ, कर्मकाण्ड करने का अवसर दिया जाता है? संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? क्या शहीदो की विधवा महिलाओं को इस बात की जानकारी है? इन शहीदों की विधवा महिलाओं का रूझान जादू, टोना, भूत–प्रेत, धार्मिक कट्टरता से हटकर धर्म को तर्क पर अपनाने का कारण और संतो के प्रवचनों को सुनने का क्या कारण है, का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

KEYWORDS:

सशक्तीकरण, अंधविश्वास, रूढि, प्रथा, कर्मकाण्ड, अनुष्ठान, रीति रिवाज, शोषित, दयनीय।

विधवा की अवधारणा, अर्थ

विधवा का तात्पर्य सामान्यतया उस महिला से है, जिसने सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक रूप से किये गये विवाह के बाद अपने पति को खो दिया है अर्थात उसका पति मर गया है। विधवा का सामान्य अर्थ है जीते जागते इन्सान का एक पल में बेजान, निर्जीव कठपुतली बना दिया जाता है। वैधव्य एक स्त्री के लिए उसके महिला शब्द का अर्थ ही बदल देता है। वैधव्य के सम्बन्ध में जो सामाजिक परिणाम आता है वो एक विधवा महिला की स्व–अवधारणा पर हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। पति के मरते ही (विधवा होत ही) एक महिला को अपने सुहाग के तमाम प्रतीकों को अपने से अलग करना होता है जैसे–श्रृंगार सुहाग के प्रतीक को नहीं पहनना, सात्विक भोजन करना, जमीन पर सोना, पर पुरूष से बात नहीं करना, सिर मुंडवाना, सफेद वस्त्र पहनना। वैधव्य भारतीय समाज में कलंक है जो एक महिला की पहचान के साथ जुड़ जाती है। भारत में विधवा महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। सामाजिक परिष्कार की पीड़ा झेलनी पड़ती थी, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, कानूनी रूप से उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था। बाद में कई आंदोलनकारी हुये उन्होंने विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। कानूनी रूप से कई अधिकार की व्यवस्था की। आर्थिक रूप से सशक्त किया। उत्तराधिकार के अधिकार में सुधार किया किंतु फिर भी स्थिति में वांछनीय परिवर्तन, सुधार नहीं हुआ **(उमा गिरिश)।**[1] लेखक ने युद्ध विधवाओं की मनोवज्ञानिक, सामाजिक स्थिति का विश्लेषण और बताया कि एक विधवा को उसके पति की मृत्यु के बाद विभिन्न सामाजिक, धार्मिक प्रतिबन्धों से गुजरना पड़ता है। अपने पति के शहीद होने और सामाजिक, शोषण, अत्याचारों से परेशान होकर अपना मानसिक संतुलन खो देती है **(ल. समगार हेन्डलमैन)।**[2] लेखिका ने भारत, नेपाल की प्रथम विश्व युद्ध से लेकर ऑपरेशन विजय (कारगिल विजय) तक की सभी सैनिक विधवाओं का अध्ययन किया और पाया कि विधवा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, शैक्षणिक स्तर समाज में निम्न दर्जे की है इन्हें कई सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। समाज इन विधवा महिलाओं को अपशगुनी कलंक के रूप में देखती है इनका बहिष्कार करती है। इनके साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता, कल्याणकारी योजनाएं भी अपर्याप्त है। इनकी दयनीय, शोचनीय स्थिति में अत्यधिक सुधार नहीं ला पायी है **(सुषमा सूद)।**[3] सैनिक विधवा महिलाओं की समाज में प्रस्थिति अच्छी नहीं हैं। यह विधवा महिलाएँ समाज द्वारा शोषित, प्रताड़ित होती रहती है। लेखक ने भारतीय विधवा महिलाओं का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का गहन अध्ययन किया और पाया कि प्राचीन काल में भारतीय समाज पित्रसत्तात्मक, पुरूष प्रधान, विधवा महिलाओं के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार, मानसिक, शारीरिक शोषण होता था जिससे तंग आकर कई विधवा महिलाएं पति के शव के साथ सती हो जाती थी **(डॉ. देवी प्रसाद)।**[4] लेखक ने विधवा की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुये कहा कि भारतीय हिंदू समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति शोचनीय थी। हिन्दू समाज में महिलाओं के लिए विधवावस्था को उनके पूर्वजन्म के कर्मो का दण्ड माना जाता है। विधवा महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। मांगलिक कार्यो में उनकी उपस्थिति को अशुभ माना जाता था। समाज में विधवाओं की स्थिति सबसे निम्न थी **(गोदावरी)।**[5]

धर्म की परिभाषा व अवधारणा –

डॉ. याकुब मसीह ने अपनी पुस्तक समकालीन धर्म दर्शन में धर्म की परिभाषा देते हुए कहा – धर्म वह सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है, जो किसी समाज समादूत आदर्शपूर्ण विषय के प्रति आत्मसमर्पण एवं अन्तबद्धता के हेतु व्यक्ति को सम्पूर्ण जगत के प्रति अभिमुख करती है। मानव मन मे देश प्रेम एक प्रवृत्ति है, जिसके कारण समय पड़ने पर उसकी रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है, उसके सुधार की बात सोचता है, देश में होने वाली सभी घटनाओं के प्रति क्रियाशील रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंतर्गत धर्म की भी एक प्रवृत्ति होती है। उसके मन में एक आदर्शपूर्ण आराध्य देवता होता है। धर्म भी अभिवृत्ति है इसका विषय है आदर्शपूर्ण अराध्य देवता मूर्तय किसी भी भी सामूहिक रूप में पवित्र कहलाने वाला पात्र, धर्म का उद्देश्य यह कदापि नहीं कि ईश्वर या किसी अन्य देवी शक्ति की अराधना की जाये। धर्म का उद्देश्य है कि मानव को ऐसी मन स्थिति की प्राप्ति हो जिससे उसमें शान्ति, आनन्द का संचार हो, इस जीवन में वह अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्थ हो सके धर्म में मानवतावाद विशेष धर्म है और इसमें समाजवाद, साम्यवाद वैज्ञानिक मानवतावाद, प्रजातंत्रवाद अनेक धर्म गिने जाते है। धर्म में आत्म संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता है। धर्म आराध्य देवता की अराधना, पूजा और आत्मसमर्पण को विशेष महत्व देता है। धर्म को आराध्य देवता के स्वरूप के अनुसार विभिन्न वर्गो में रखा जाता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है, धर्म अन्तकरण का विजय है इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता है इसका सीधा सम्बन्ध आत्मा मन से होता है। धर्म एक है, ईश्वर भी एक है, उस तक पहुँचने का मार्ग अलग–अलग है। धर्म और ईश्वर एक है, हम इन दानों में अन्तर नहीं कर सकते है जो अन्तर करते है वह स्वार्थ के कारण होता है, धर्म के नाम पर कुछ समाज के स्वार्थी लोग अपनी रोटी सेकते है। संविधान ने धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार तो प्रदान कर दिया है लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। धर्म की कोई भी परिभाषा देना कठिन है। "धारयते इति धर्म" अर्थात जो धारण किया जाये वही धर्म है, जो अन्तःकरण को अच्छा लगे वही धर्म है । अन्तःकरण कभी अनिष्ट कार्य करने की अनुमति नहीं देता, धर्म की यह संगत परिभाषा है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष धर्म की परिभाषा का प्रश्न आया तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धार्मिक स्वतन्त्रता सैद्धान्तिक विश्वासों तक ही सीमित नहीं है इसके अन्तर्गत धर्म के अनुसरण में किये गए कार्य भी है इसके अंतर्गत धर्म के अभिन्न अंग कर्मकाण्डों धार्मिक कार्यो, संस्कृति उपासनाओं की पद्धतियों की गारन्टी भी सम्मिलित है। धर्म या धार्मिक परिपाटी का आवश्यक भाग क्या है यह अर्थान्वयन का विषय है इसका विनिश्चय न्यायालयों द्वारा धर्म विशेष के सिद्धान्तों के

प्रति निर्देश से किया जायेगा, इसमें ऐसी परिपाटी भी आती है जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का अंग समझा जाता है। इस परिभाषा से धर्म की एक विस्तृत व्याख्या हमारे सामने आती है। धर्म में –1. सैद्धान्तिक विश्वास 2. कर्मकाण्ड 3. धार्मिक कार्य, अनुष्ठान 4. संस्कृति 5. उपासना की पद्धति एवं परिपाटी आदि सम्मिलित है। धर्म और धार्मिक परिपाटी की व्याख्या को भी न्यायालयों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। **(सेशम्मा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दरगाह कमेटी अजमेर बनाम सैय्यद हसन अली, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1402, जगन्नाथ रामानुजदास बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 400, कमिश्नर हिन्दू रिलीजियस एन्डोमेन्टस मद्रास बनाम एल.टी. स्वामियार ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 282)।**[6]

धार्मिक स्तर पर शहीदों की विधवाओं की प्रास्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय, शोचनीय रही थी, विधवाएँ, शहीदों की विधवाएँ हिंदू धर्म में वर्षो से शोषित, उपेक्षित अंग रही है, जो अपने वैधव्य से उत्पन्न कष्टप्रद स्थितियों छद्म जातिय गौरव से उदगमित सामाजिक आचार संहिता को अपना भाग्य मानकर जीवन भर के लिए स्वीकार करने को विवश है। धर्म के व्यापक प्रभाव के कारण शहीदों की विधवाएँ निम्नतर प्रास्थिति, निज व्यक्तित्व विकास पर आरोपित प्रतिबन्धों को धार्मिक दृष्टिकोण से अपना भाग्य मानकर स्वीकार करती है और यहांधर्म की भूमिका एक बार पुनः अफीम (मार्क्स) के समान हो जाती है जिसके नशे में विधवा महिलाएँ शहीदों की विधवाएँ सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित शोषण को ईश्वरीय इच्छा के रूप में परिभाषित कर पारिवारिक सामाजिक स्तर पर विद्रोह व आन्दोलन की संभावनाओं को समाप्त कर देती है।

यहाँ प्रस्तुत अध्ययन में हिंदू धर्म में विधवाओं पर कई प्रतिबंध थे। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के युग में स्त्री (विधवा) की दशा पतनोन्मुख हो गयी थी, कई धर्मशास्त्रों में स्मृतिकारों ने उसे कभी भी स्वतन्त्र न रहने के लिये निर्देशित किया जब तक वह कन्या रहे उसे पिता का संरक्षण रहे विवाह होने पर उस पर पति का संरक्षण रहे। वृद्धावस्था में पुत्र का संरक्षण रहे, धार्मिक स्तर पर उसके सारे अधिकारों को, सीमित कर दिया गया जैसे विधवा होने पर सफेद वस्त्र पहनना, सादा खाना खाना, घर से बाहर नहीं निकलना, सोलह श्रृंगार नहीं करना, धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलापों में भाग नहीं लेना, पति की मृत्यु पर सती हो जाना, पर पुरूष से बात करना विधवाओं के खान–पान में मांस, मछली, लहसुन, प्याज खाने की मनाही थी, इसका कारसा था कि पति पति की मृत्यु के बाद काम वासना पर नियन्त्रण रखने के लिए विधवाओं को उष्णतावर्द्धक चीजें खाने की मनाही की गई थी। हिन्दू धर्म के आधार पर विधवाओं को सफेद साड़ीयां वस्त धारण करवाया जाता है इसके पीछे निम्नलिखित कारण थेः। **पहला कारण** – सफेद साड़ी से महिला की समाज में भिन्न पहचान बनती है सभी लोग उसके प्रति संवेदना रखते है इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते वह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहती है। **दूसरा कारण** – महिलाओं का ध्यान न भटके इसलिए उन्हें सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है क्योंकि रंगीन कपड़े इन्सान को भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित करते ह। किसी स्त्री के पति की मृत्यु होने के कारण विधवा महिलाएँ उन चीजों की भौतिक सुखों की भरपाई कैसे करेगी, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की लालसा में वह अनैतिक कार्यो आचरणों को करेगी इसी बात से बचने के लिए विधवा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है। **तीसरा कारण** – शास्त्रों के अनुसार पति को परमेश्वर कहा गया है ऐसे में अगर पति परमेश्वर का जीवन समाप्त हो गया है तो उसकी पत्नी को भी संसार की मोहमाया को छोड़कर सफेद वस्त्र जो आध्यात्मिक, शांति का प्रतीक है पहनकर भगवान में मन लगाना चाहिए। **चौथा कारण** – सफेद रंगों को रंगों की अनुपस्थिति वाला रंग माना जाता है जिसके जीवन में कोई रंग नहीं रहे जब किसी महिला का पति मर जाता है तो उसके जीवन में कोई रंग नही रह जाता है इसलिए उसे सफेद रंग की साड़ी अनिवार्य जरूरी है। **पांचवा कारण** – हिंदू धम एक विधवा महिला को सफेद साड़ी पहनने को अनिवार्य करता है इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि सफेद रंग आत्मविश्वास, बल, शक्ति प्रदान करता है। वह कठिन से कठिन समय को पार करने में सहायक बनता है। सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभू में अपना ध्यान लगाने में मदद करता ह। सफेद वस्त्र पहनने से मन शांत, सात्विक बना रहता है। हिंदू धर्म ग्रन्थों, वेदों में विधवा महिला को सभी अधिकार देने एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में एक कथन शामिल हैः–

'उदीर्ष्व नार्थभि जीवलोक गतासुमेत मुप शेष सम्बभूंथ।'

अर्थात् पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे ऐसा कोई धर्म नहीं कहता उस विधवा महिला को पूरा अधिकार है कि वह अन्य पुरूष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना एक धार्मिक कार्य माना है इसलिए हिन्दू धर्म में पति की मृत्यु के बाद पुनः विवाह करने के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए है। किंतु प्राचीन काल की पौराणिक इतिहास परम्पराओं में विवाह, पुनःविवाह, विवाह विच्छेद के उदाहरण मिलते है। उदाहरण :– उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे नाता कहा जाता है।

निष्कर्ष:–

वर्तमान में वैश्वीकरण के फलस्वरूप समाज की दकियानूसी सोच में परिवर्तन आया है। अब समाज के लोगों की सोच बदल रही है इसलिए आज विधवा महिलाएँ, शहीदों की विधवा महिलाएँ, राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवा महिलाओं को भी धार्मिक स्तर पर पूर्णरूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकती है। मंदिर में प्रवेश कर सकती है। रंगीन वस्त्र धारण कर सकती है, किंतु राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवा महिलाओं, इन तहसील के ग्रामीण समुदाय की शहीदों की विधवा महिलाओं का साक्षात्कार लेने पर पाया गया कि इन शहीदों की विधवा महिलाओं में धर्म, कर्मकाण्ड, रीति–रिवाज प्रथा परम्पराओं सम्बन्धी दृष्टिकोणों में अधिक परिवर्तन नहीं आया क्योंकि भारतीय समाज, विशेष तौर से राजस्थान में धर्म को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जिससे समाज के व्यक्ति संचालित होते है। समाज पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इस कारण धार्मिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को सरलतापूर्वक, आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। धार्मिक परिवर्तनों का विरोध होता है। किन्तु शोधकर्ती (शोधार्थी) ने शोध करते हुये यह भी पाया कि वर्तमान युग में शिक्षा का अत्याधिक प्रचार–प्रसार के कारण इन शहीदों की विधवा महिलाओं के बौद्धिक स्तर में वृद्धि हुई है जिसके कारण उनमें धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वासों में शिथिलता आई है। धर्म–निरपेक्षता की भावना का विकास हुआ है। शेरगढ़ तहसील की शहीदों की इन विधवा महिलाओं द्वारा धार्मिक उत्सव, धार्मिक कर्मकाण्ड, धार्मिक त्यौहारों, इनसे जुड़ी मान्यताओं, विश्वासों को बड़े ही उत्साह, उमंग से मनाया जाता है। किन्तु इनसे जुड़े अंधविश्वासों को नहीं मानती है। अधिकांश शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवा महिलाएँ धार्मिक उत्सवों, पूजा–पाठ, आयोजन में भाग लेने के बजाये संतो के प्रवचन को सुनती है, संतो द्वारा दिए जाने वाले प्रवचनों को सुनने के लिए भाग लेती है। यह प्रवचन तर्क पर आधारित नैतिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित होते है जो इन शहीदों की विधवा महिलाओं में आत्मबल को बढ़ाता है। दुखों को दूर करता है उनमें सामाजिक, मानवीय नैतिक मूल्यों का विकास करता है। भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है।

REFERENCES

1. गिरिश उमा, इंडिया आउट कास्ट विडोज हैव न्यू हेवन्स वी न्यूज, कारस्पॉडन्ट चेन्नई 18 अप्रेल 2004
2. हेन्डलमैन : इजरायलीवार विडोज : बियान्डॅ द ग्लॉरि आफ हेरोइजम, बेरगीन एण्ड गार्वे न्यूयार्क, 30 जुलाई 1986
3. सुद सुषमा : वार विडोज इन इण्डिया एण्ड नेपाल बाफना पब्लिकेशन जयपुर (2001)
4. तिवारी डॉ. देवी प्रसाद, प्राचीन भारत में विधवाएँ, तरूण प्रकाशन, लखनऊ 1994
5. पाटिल गोदावरी, हिंदू विडोजः ए स्टोरी इन दा प्रिवेंशन, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस न्यू देहली, 2000
6. सोशम्मा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1576
7. दरगाह कमेटी अजमेर बनाम सैय्यद हसन अली ए.आई.आर. 1961 एस.स.ी 1402
8. जगन्नाथ रामानुजदास बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 400,
9. कमिश्नर हिन्दू रिलीजिसय एन्डोमेन्टस मद्रास बनाम एल.टी. स्वामियार ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 282